हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

25-1-17

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप./ अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 8-2-17 को पेश हो।

8-2-17 वकुमाय उपस्थित पूर्व आदेशानुसार मिसल दिनांक 21-2-17 को पेश हो।

21-2-17 मिसल पेश हुई। वकुमाय उपस्थित। वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र O6 R17 CPC तथा तलबी प्रतिवादीगण नं० 4 ता 7, 13 ता 15, 17 ता 24 व पेश होने जवाब दावा प्रतिवादी नं० 1 ता 3, 8 ता 12 व 16 हेतु मिसल आईन्दा दिनांक 28-3-17 को पेश हो।

28/3/17 इकजाई पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्तागण द्वारा राजस्व न्यायालय का बहिष्कार होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-4-17 को पेश हो।

7/4/17 इकजाई पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्तागण द्वारा राजस्व न्यायालय का बहिष्कार होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25-5-17 को पेश हो।

25/5/17 इकजाई पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्तागण द्वारा राजस्व न्यायालय का बहिष्कार होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-7-17 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
20/7/17	इजलासी पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] द्वारा राजस्व न्यायालय का [illegible] होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20.9.17 को पेश हो।
20/9/17	पत्रावली पेश हुई। [illegible]ाय उप. अधिकारी अनुपस्थित / [illegible] अधिकारी दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 28.12.17 को पेश हो
28/12/17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी / वादी / उभय पक्षकारान हस्ब [illegible] पूर्व आदेशानुसार दि० 22.2.18 को पेश हो
22-2-18 22-2-18	इजलासी पेशी देने पर पत्रावली आज [illegible] हुई। ~~[illegible] द्वारा राजस्व न्यायालय का~~ ~~[illegible] होने के कारण~~ अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-3-18 को पेश हो।
23.3.18	नियत पेशी का एक दिन का अवकाश होने से आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. अनुपस्थित [illegible] अधिकारी दौरे पर [illegible] कार्य में व्यस्त। पत्रावली [illegible] आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 18.7.18 को पेश हो
18/07/18	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार आवाज लगवाई गई। वकुलाय उभयपक्ष अथवा पक्षकार में से कोई हाजिर अदालत नहीं आया। अतः प्रक[illegible] अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner